



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/42/2019/2125

दिनांक: 10.06.2019

सेवा में,

श्री राकेश जैन,
डी-55, लक्ष्मण पथ, हनुमान नगर,
डी-ब्लॉक, वैशाली नगर,
जयपुर-302021 (राज.)

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2019 का सन्दर्भ देखें।

In this context it is informed that both the copies of the subject OIO No. JAI-EXCUS-000-COM-11-18-19 dated 29.01.2019 (addressed to the Party M/s RIGL, Jetpura & its Director Shri Rakesh Kumar Jain) passed in the matter of evasion of Central Excise duty against M/s. Rajasthan Industrial Gases Ltd. Jetpura, Jaipur had initially been dispatched through Speed-Post Receipt No. ER-056714294-IN and ER-056713651-IN, both dated 07.02.2019 which had been returned undelivered by the Postal Authorities with the remark "फैक्ट्री बंद पड़ी है, ताला लगा है, पाने वाला कोई नहीं है"

Accordingly, both the original copies of the aforementioned OIO were sent to the Division Office for delivery through the Range. The said copies of both the OIOs were subsequently delivered to the aforesaid parties by way of Chaspa Karywahi(चस्पा कार्यवाही) by pasting on a prominent part of the Factory wall of the assessee located at SP-188, RIICO Industrial Area, Jetpura, Jaipur on 06.03.2019 under proper Panchnamas.

However the desired information i.e. a copy of OIO No. JAI-EXCUS-000-COM-11-18-19 dated 29.01.2019 is being provided under RTI Act, 2005.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

संलग्न: प्रतिलिपि

भवदीय,

—sd—

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. बेव मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

10/6/19
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
Central Public Information Centre,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय जयपुर।
Central Goods & Services Tax Commissionerate
जयपुर